21/18

2 वादिनी पेश हुई प्रतिवादी की ओर से प्रतिम वादी की वकालत। पत्रावली Reg AD तामीली के पूर्व अतिरिक्त तारीख 13-9-17, 15-11-17 एवं 6-12-17 तथा अंतिम अवसर तारीख 16-1-18 को Reg AD तामीली पेश होने के अवसर प्रदान किये गए थे चूंकि के आवश्यक अवसर प्रतिवादी को अतिरिक्त। पत्रावली Reg AD पेश नहीं किये गिरफ्तार। अतः तामीली पेश न होने पर O-9 R-5 धारा 151 CPC में वाद वादिनी अतिरिक्त जाता यह न्यायसंगत उचित समझता है कि वाद वादिनी खारिज किया जाता है तदनुसार फैसला में हुआ कि अक्षर संलिप्त पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज०)